

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-III/2017/


दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैंड	ग्रेड पे
1.	श्री अशोक कुमार सैनी, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, चूरु।	15.05.2008	09 वर्ष	15.05.2017	5200-20200	2800
2.	श्री माधुसिंह खोजा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, जोधपुर।	05.04.1999	18 वर्ष	05.04.2017	9300-34800	3600
3.	श्री मोहम्मद सुलेमान चिश्ती लिपिक ग्रेड-द्वितीय, जोधपुर।	29.01.1990	27 वर्ष	29.01.2017	9300-34800	4200
4.	श्रीमति मोनिका सक्सैना, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, जयपुर।	20.05.1999	18 वर्ष	20.05.2017	9300-34800	3600

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

  
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

दिनांक : 10/07/17

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-III/2017/1485

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वा. संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर/चूरु/जोधपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ(चूरु)।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवास, जोधपुर/भोपालगढ, जोधपुर।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर